संख्या पी 14017/3/83-स्था0(आर0आर0)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग
नई दिल्ली, दिनांक 13 -4-1983

-2-

## कार्यालय ज्ञापन

विषय:- भर्ती नियमों में निर्दिष्ट की जाने वाली प्रतिनियुक्ति की अवधि- अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की सिफारिश ।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति (सातवीं लोक सभा) ने 25.2.83 को लोक सभा में प्रस्तुत की गई अपनी 15 वीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित सिफारिश की है:-

"37. समिति यह चाहती है कि भर्ती नियमों में एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से कार्मिक और प्र0सु0विभाग को सभी मंत्रालयों/विभागों से यह आग्रह करना चाहिए कि भविष्य में जब कभी वे ऐसे भर्ती नियम अधिसूचित करें, जहां भर्ती पद्धतियों में एक पद्धति "प्रतिनियुक्ति" की हो, तो नियमों में ऐसी प्रतिनियुक्ति की सही अवधि अनिवार्यत: निर्दिष्ट करनी चाहिए" ।

2. उपर्युक्त आशय के उपयुक्त अनुदेश इस विभाग के दिनांक 22.5.79 के कार्यालय ज्ञापन सं0 14017/24/76-स्था0(आर0आर0) द्वारा पहले ही जारी किए गए निर्देशक सिद्धांतों के पैरा 3.13.4 में दिए गए हैं जिन्हें दिनांक 15.12.82 के का.ज्ञा.सं0 14017/18/82 स्था0(आर0आर0) द्वारा आगे परिवर्धित कर दिया गया है ।

3. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की उपर्युक्त सिफारिश को सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने अधीन पदों के भर्ती नियम बनाते समय अनुपालन किए जाने के लिए उनकी जानकारी में लाया जाता है । उनके द्वारा पहले से अधिसूचित किए गए भर्ती नियमों की भी पुनरीक्षा की जाए और यदि विद्यमान व्यवस्था अनुदेशों के अनुरूप न हो तो अपेक्षित संशोधन किए जाएं ।

जे.के. शर्मा
(जे0के0 शर्मा)
निदेशक

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग

प्रति लोक सभा सचिवालय(श्री एस0डी0 कौरा, मुख्य विधायी समिति अधिकारी) को उनके दिनांक 26.2.83 के का0ज्ञा0 सं0 42/1/सी.एस.11/83 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित । (इस का0ज्ञा0 की पांच अतिरिक्त प्रतियां संलग्न हैं) ।

प्रति विशेष कार्याधिकारी (संसद)कार्मिक और प्र.सु.विभाग को भी अग्रेषित ।